न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 17/2018 अपील

1. रमाकान्त उर्फ रामलाल पिता हजारी मीणा निवासी नाडिया तहसील जहाजपुर 2. बल्देव पिता सुखा मीणा निवासी नाडिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा –अपीलार्थी	बनाम	1. श्रीमती बादामी पत्नी गोपाल मीणा निवासी नाडिया तहसील जहाजपुर 2. भीवडा पिता श्रीकिशन मीणा निवासी नाडिया तहसील जहाजपुर 3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा – रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रकरण सं. 01/2017
निर्णय दिनांक 07.09.2017

उपस्थित –
1. श्री बी.एल. बापना अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. रेस्पोडेण्ट सं. 01 व 02 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 24.09.2018

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 की धारा 225 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश तहसीलदार जहाजपुर का बमामलें प्रकरण सं. 01/2017 निर्णय दिनांक 07.09.2017 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बाबाजी का खेडा पटवार हल्का धौड़ में कृषि आराजी नं. 586,590,593,598, 600,601,604,605,607,608,624,636,657,658,674,676 कुल किता 16 रकबा 19.11 बीघा भूमि श्रीमती हजारी बेवा हजारी मीणा, रमाकान्त पिता हजारी, सांवला, बलदेव पिता सुखा मीणा एवं भीवडा पिता श्रीकिशन मीणा निवासी नाडिया के खातेदारी अधिकार की स्थित है एवं खाता सं. 53 में आराजी नं. 587,603,639,641, 654, 677 कुल किता 6 रकबा 22.14 बीघा भूमि श्रीमती हजारी बेवा हजारी मीणा, रमाकान्त पिता हजारी, सांवला, बल्देव पिता सुखा मीणा एवं भीवडा पिता श्रीकिशन मीणा, गोपी पिता चतरा मीणा के खातेदारी अधिकार आधिपत्य की है जिनके विभाजन का वाद अपीलार्थीगण रमाकान्त व हजारी बेवा हजारी एवं बल्देव पिता सुखा मीणा ने भीवडा पिता श्रीकिशन मीणा, बदामी पत्नी गोपाल, गोपी पिता चतरा, श्रीमती अलोल पत्नी कजोड मीणा एवं तहसीलदार जहाजपुर के विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर में वाद सं. 206/2013 प्रस्तुत किया। दौराने वाद श्रीमती हजारी बेवा हजारी मीणा और गोपी

पिता चतरा मीणा का देहान्त हो गया, फिर भी उनके विरूद्व प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.11.2016 को पारित कर दी गयी, जिसमें खातेदारान् हक हिस्से का कोई निर्धारण नही किया गया था फिर भी उस अवैध डिक्री की पालना में तहसीलदार जहाजपुर ने पटवारी हल्का धौड एवं भू अभिलेख निरीक्षक शक्करगढ से बंटवाडा प्रस्ताव मंगाया। जिन्होनें भी मौके पर जाकर कब्जे की कोई जांच नहीं की और हाइवे से लगती हुई सारी जमीन आराजी नं. 657/1, 656/1, 676/1, 674/2, 624/1 किता 5 रकबा 3.09 बीघा एवं आराजी नं. 639/2,641/2, 677/1, 654/2 किता 4 रकबा 2.09 बीघा भूमि श्रीमती बदामी व उसके पति गोपाल मीणा के हिस्से मे रख दी और प्रार्थीगण के हिस्से में सडक से काफी दूर व पीछे की भूमि जिस पर आने जाने का कोई रास्ता नही है, रख दी जो राजस्थान टिनेन्सी रूल्स के नियम 18 से 21 की भारी अवहेलना हैं। नियमानुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से प्रत्येक खातेदार को उनके हिस्से अनुसार भूमि विभाजन किया जाना चाहिये । यह विभाजन प्रस्ताव बनाते समय प्रार्थीगण को कोई सूचना नही दी गयी और बंटवाडा प्रस्ताव कोर्ट में प्रस्तुत होने पर कोर्ट ने भी विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई अवसर नही दिया। श्रीमती बदामी ने जो भूमि भीवडा पिता श्रीकिशन मीणा से क्रय की थी वह भूमि उस विक्रय पत्र में सडक से ढाई किलोमीटर दूर होना लिखा है जबकि विभाजन की डिक्री में श्रीमती बदामी को सडक से लगती हुयी कीमती भूमि फाइनल डिक्री दिनांक 25.01.2017 को दे दी गयी। जिसके विरूद्व भू प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। दौराने कार्यवाही वाद में श्रीमती हजारी बेवा हजारी मीणा असाध्य रोग से पीड़ित हो गयी थी जिसके इलाज मे लगे होने एवं उसकी मृत्यु के बाद गमजदा होने से न्यायालय में नही जा सके और प्रार्थीगण के वकील द्वारा भी उस वाद सं. 206/2013 मे पारित निर्णय एवं डिक्री की कोई सूचना नही दी जिससे डिक्री की जानकारी नही हो सकी। इस अपीलाधीन प्रकरण सं. 01/2017 में पारित आदेश की पालना में बेदखल करने का नोटिस आने पर उक्त प्रकरण की जानकारी हुई। नियमित वाद मे पारित की गयी डिक्री की अपील Continuation of the Suit की परिभाषा में आती है और विधि का यह सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि नियमित वाद के पेंडिंग रहते हुए धारा 183 बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की संक्षिप्त कार्यवाही स्थगित रहनी चाहिये और उसमें पारित आदेश की पालना भी स्थगित होनी चाहिये किन्तु विभाजन के मुकदमा नं. 203/13 में पारित फाइनल डिक्री के तहत जो भूमि अनाधिकार प्रार्थीया श्रीमती बदामी के हिस्से में रख दी गयी उस भूमि को उसे उस मुकदमें में पारित डिक्री की इजराय कराकर ही प्राप्त करनी चाहिये , न की धारा 183 बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत अलग से संक्षिप्त कार्यवाही करनी चाहिये। विभाजन के वाद सं. 206/2013 मे पारित डिक्री की पालना में कभी भी कब्जा प्रदान नही किया गया और प्रार्थीया अप्रार्थीगण के हिस्से में रखी गयी भूमि पर प्रार्थीगण का ही कब्जा चला आ रहा है, जिस पर प्रार्थीगण का अतिक्रमण नही कहा जा सकता हैं, क्योंकि अतिक्रमण तो तब होता है जबकि प्रार्थीया अप्रार्थीगण के हिस्से मे आयी भूमि पर अंतिम डिक्री की पालना में कब्जा दे दिया गया हो और

उसके बाद प्रार्थीगण ने ताकत के बल पर उस पर अतिक्रमण कर लिया हो। ऐसा कोई तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पेश नही हुआ। इस प्रकरण में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि आराजी नं. 674/2 रकबा 09 बिस्वा के अलावा अन्य आराजियात पर अप्रार्थी रमाकान्त उर्फ रामलाल पिता हजारी, बल्देव पिता सुखा मीणा, भीवडा पिता श्रीकिशन मीणा निवासी नाडिया का कब्जा होना पाया गया, जबकि भीवडा से ही प्रार्थीया बदामी ने उसके हिस्से की भूमि क्रय की थी, लेकिन विक्रय किये जाने के बावजूद संभवतः भीवडा ने क्रेता बदामी को कब्जा प्रदान नहीं किया न ही बदामी ने कब्जा प्राप्त किया था। आराजी नं. 657/1 के आंशिक भाग पर अपीलार्थीगण का कई वर्षों पूर्व से मकान बना हुआ है। जिसमें अपीलार्थीगण का परिवार निवास कर रहा हैं। अगर आराजी नं. 657/1 में बने मकानात से अपीलार्थीगण को बेदखल कर दिया गया तो अपीलार्थीगण का परिवार बेघरबार होकर सडक पर आ जायेगा। प्रार्थीया बदामी की तरह अपीलार्थीगण भी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है जिससे अपीलार्थीगण के विरूद्व धारा 183 बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत कोई कार्यवाही पोषणीय नही होने से चलने योग्य नही है। ऐसी परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश धारा 183 बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत पारित किया है वह अपास्त होने योग्य है। प्रार्थीया ने क्लीन हैण्ड्स से प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया था, जिससे प्रार्थीया कोई भी अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नही हैं। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर के प्रकरण सं. 01/2017 निर्णय दिनांक 07.09.2017 की जानकारी अपीलार्थीगण को 19.01.2018 को हुयी व नकल प्राप्त की । जिससे यह अपील मिलने जानकारी आदेश व नकल से अंदर अवधि एक माह में पेश है और दिनांक 07.09.2017 से दिनांक 19.01.2018 तक का समय कण्डोन कराने हेतु धारा 05 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश अपास्त कराया जावे।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 02.02.2018 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गये। रेस्पोडेण्ट सं. 01 व 02 उपस्थित नही होने से इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की जाती है।

अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम बाबाजी का खेडा पटवार हल्का धौड़ में कृषि आराजी नं. 586,590,593,598, 600,601,604,605,607,608,624,636,657,658,674,676 कुल किता 16 रकबा 19.11 बीघा भूमि श्रीमती हजारी बेवा हजारी मीणा, रमाकान्त पिता हजारी, सांवला, बलदेव पिता सुखा मीणा एवं भीवडा पिता श्रीकिशन मीणा निवासी नाडिया के खातेदारी अधिकार की स्थित है एवं खाता सं. 53 में आराजी नं. 587,603,639,641, 654, 677 कुल किता 6 रकबा 22.14 बीघा भूमि श्रीमती हजारी बेवा हजारी मीणा, रमाकान्त पिता हजारी, सांवला, बल्देव पिता सुखा मीणा एवं भीवडा पिता श्रीकिशन मीणा, गोपी पिता चतरा मीणा के खातेदारी अधिकार आधिपत्य की है जिनके विभाजन का वाद अपीलार्थीगण

रमाकान्त व हजारी बेवा हजारी एवं बल्देव पिता सुखा मीणा ने भीवडा पिता श्रीकिशन मीणा, बदामी पत्नी गोपाल, गोपी पिता चतरा, श्रीमती अलोल पत्नी कजोड मीणा एवं तहसीलदार जहाजपुर के विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर में वाद सं. 206/2013 प्रस्तुत किया। दौराने वाद श्रीमती हजारी बेवा हजारी मीणा और गोपी पिता चतरा मीणा का देहान्त हो गया, फिर भी उनके विरूद्व प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.11.2016 को पारित कर दी गयी, जिसमें खातेदारान् हक हिस्से का कोई निर्धारण नही किया गया था फिर भी उस अवैध डिक्री की पालना में तहसीलदार जहाजपुर ने पटवारी हल्का धौड एवं भू अभिलेख निरीक्षक शक्करगढ से बंटवाडा प्रस्ताव मंगाया। जिन्होनें भी मौके पर जाकर कब्जे की कोई जांच नहीं की और हाइवे से लगती हुई सारी जमीन आराजी नं. 657/1, 656/1, 676/1, 674/2, 624/1 किता 5 रकबा 3.09 बीघा एवं आराजी नं. 639/2,641/2, 677/1, 654/2 किता 4 रकबा 2.09 बीघा भूमि श्रीमती बदामी व उसके पति गोपाल मीणा के हिस्से मे रख दी और प्रार्थीगण के हिस्से में सडक से काफी दूर व पीछे की भूमि जिस पर आने जाने का कोई रास्ता नही है, रख दी जो राजस्थान टिनेन्सी रूल्स के नियम 18 से 21 की भारी अवहेलना हैं। नियमानुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से प्रत्येक खातेदार को उनके हिस्से अनुसार भूमि विभाजन किया जाना चाहिये । यह विभाजन प्रस्ताव बनाते समय प्रार्थीगण को कोई सूचना नही दी गयी और बंटवाडा प्रस्ताव कोर्ट में प्रस्तुत होने पर कोर्ट ने भी विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई अवसर नही दिया। श्रीमती बदामी ने जो भूमि भीवडा पिता श्रीकिशन मीणा से क्रय की थी वह भूमि उस विक्रय पत्र में सडक से ढाई किलोमीटर दूर होना लिखा है जबकि विभाजन की डिक्री में श्रीमती बदामी को सडक से लगती हुयी कीमती भूमि फाइनल डिक्री दिनांक 25.01.2017 को दे दी गयी। जिसके विरूद्व भू प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। दौराने कार्यवाही वाद में श्रीमती हजारी बेवा हजारी मीणा असाध्य रोग से पीड़ित हो गयी थी जिसके इलाज मे लगे होने एवं उसकी मृत्यु के बाद गमजदा होने से न्यायालय में नही जा सके और प्रार्थीगण के वकील द्वारा भी उस वाद सं. 206/2013 मे पारित निर्णय एवं डिक्री की कोई सूचना नही दी जिससे डिक्री की जानकारी नही हो सकी। इस अपीलाधीन प्रकरण सं. 01/2017 में पारित आदेश की पालना में बेदखल करने का नोटिस आने पर उक्त प्रकरण की जानकारी हुई। नियमित वाद मे पारित की गयी डिक्री की अपील Continuation of the Suit की परिभाषा में आती है और विधि का यह सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि नियमित वाद के पेंडिंग रहते हुए धारा 183 बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की संक्षिप्त कार्यवाही स्थगित रहनी चाहिये और उसमें पारित आदेश की पालना भी स्थगित होनी चाहिये किन्तु विभाजन के मुकदमा नं. 203/13 में पारित फाइनल डिक्री के तहत जो भूमि अनाधिकार प्रार्थीया श्रीमती बदामी के हिस्से में रख दी गयी उस भूमि को उसे उस मुकदमें में पारित डिक्री की इजराय कराकर ही प्राप्त करनी चाहिये , न की धारा 183 बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत अलग से संक्षिप्त कार्यवाही करनी चाहिये। विभाजन के वाद सं. 206/2013 मे पारित डिक्री की पालना में कभी भी कब्जा प्रदान

नही किया गया और प्रार्थीया अप्रार्थीगण के हिस्से में रखी गयी भूमि पर प्रार्थीगण का ही कब्जा चला आ रहा है, जिस पर प्रार्थीगण का अतिक्रमण नही कहा जा सकता हैं, क्योंकि अतिक्रमण तो तब होता है जबकि प्रार्थीया अप्रार्थीगण के हिस्से मे आयी भूमि पर अंतिम डिक्री की पालना में कब्जा दे दिया गया हो और उसके बाद प्रार्थीगण ने ताकत के बल पर उस पर अतिक्रमण कर लिया हो। ऐसा कोई तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पेश नही हुआ। इस प्रकरण में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि आराजी नं. 674/2 रकबा 09 बिस्वा के अलावा अन्य आराजियात पर अप्रार्थी रमाकान्त उर्फ रामलाल पिता हजारी, बल्देव पिता सुखा मीणा, भीवडा पिता श्रीकिशन मीणा निवासी नाडिया का कब्जा होना पाया गया, जबकि भीवडा से ही प्रार्थीया बदामी ने उसके हिस्से की भूमि क्रय की थी, लेकिन विक्रय किये जाने के बावजूद संभवतः भीवडा ने क्रेता बदामी को कब्जा प्रदान नहीं किया न ही बदामी ने कब्जा प्राप्त किया था। आराजी नं. 657/1 के आंशिक भाग पर अपीलार्थीगण का कई वर्षों पूर्व से मकान बना हुआ है। जिसमें अपीलार्थीगण का परिवार निवास कर रहा हैं। अगर आराजी नं. 657/1 में बने मकानात से अपीलार्थीगण को बेदखल कर दिया गया तो अपीलार्थीगण का परिवार बेघरबार होकर सडक पर आ जायेगा। प्रार्थीया बदामी की तरह अपीलार्थीगण भी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है जिससे अपीलार्थीगण के विरूद्व धारा 183 बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत कोई कार्यवाही पोषणीय नही होने से चलने योग्य नही है। ऐसी परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश धारा 183 बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत पारित किया है वह अपास्त होने योग्य है। प्रार्थीया ने क्लीन हैण्ड्स से प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया था, जिससे प्रार्थीया कोई भी अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नही हैं। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य हैं। अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश अपास्त कराया जावे।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है । न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया एवं अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं तथ्यों का भलीभांति परीक्षण किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ग्राम बाबाजी का खेडा के आराजी नं. 586, 590, 593, 598, 600, 60/604, 605, 607, 608, 624, 636, 657, 658, 674, 676 किता 16 रकबा 19.11 बीघा एवं आराजी नं. 587, 603,639,641,654,677 किता 6 रकबा 22.14 बीघा भूमि के अपीलार्थी व रेस्पोडेण्ट संयुक्त खातेदार होकर रेस्पोडेण्ट ने विभाजन का दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर में प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर

द्वारा प्रकरण सं. 206/2013 निर्णय प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.11.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25.01.2017 को जारी की गयी।

विभाजन होने के पश्चात् रेस्पोडेण्ट के हिस्से की भूमि आराजी नं. 624/1, 656/1, 657/1, 676/1, 639/2, 641/2, 677/1, 654/2 भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा होने से, उक्त कब्जे को हटाने हेतु रेस्पोडेण्ट ने वादग्रस्त आराजियात के संबंध में 183 बी आरटीए का प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर में प्रस्तुत किया। न्यायालय में प्रकरण सं. 01/2017 दर्ज होकर निर्णय दिनांक 07.09.2017 से ग्राम बाबाजी का खेडा के आराजी नं. 624/1, 656/1, 657/1, 676/1, 639/2, 641/2, 677/1, 654/2 भूमि पर अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल किये जाने के आदेश तहसीलदार जहाजपुर द्वारा पारित किये गये।

अपीलाण्ट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर के प्रकरण सं. 206/2013 निर्णय प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.11.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25.01.2017 के विरूद्व अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपील सं. आरटीए/40 /2018 दर्ज होकर निर्णय दिनांक 26.06.2018 से प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 16.11.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25.01.2017 को न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा द्वारा अपास्त किया गया हैं।

इस प्रकार विभाजन आदेश दिनांक 25.01.2017 अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा द्वारा दिनांक 26.06.2018 से अपास्त किये जा चुके हैं।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 183 बी इस प्रकार हैं–

धारा 183 ख – अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा धारित भूमि पर अतिक्रमियों (अतिधारियों) की संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा बैदखली – (1) इस अधिनियम के किसी उपबन्ध में कुछ भी बात होते हुये भी वह अतिक्रमी (अतिचारी) जिसने कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा धारित किसी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के कब्जा कर लिया है अथवा कब्जा बनाए रखा है, उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों के आवेदन पर जो कि उसे बेदखल कराने के हकदार हों, (या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत लोक सेवक के विहित रीति से आवेदन करने पर) बेदखली का दायी होगा और प्रत्येक उस कृषि वर्ष के लिए अथवा उसके भाग के लिए जिसमें कि वह ऐसे कब्जे में रहा है, शास्ति के रूप में ऐसी राशि देने का और दायी होगा जो कि वार्षिक लगान से (पचास गुनी) तक हो सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अन्तर्गत दिये जाने वाले आवेदन पत्र पर जांच अतिक्रमण के आरोपी व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् संक्षिप्त रूप में की जायेगी।

रेस्पोडेण्ट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर के विभाजन के आदेश दिनांक 25.01.2017 के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्व धारा 183 बी आरटीए का प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 07.09.2017 से अपीलार्थी के विरूद्व बेदखली के आदेश पारित किये गये, विभाजन के आदेश दिनांक 25.01.2017 को न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा द्वारा दिनांक 26.06.2018 से अपास्त किये जाकर इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया हैं कि वादग्रस्त आराजियात में हितबद्ध पक्षकारान को पक्षकार संयोजित कर मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय एवं डिक्री पारित करने के आदेश न्यायायलय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर को दिये हैं। वादग्रस्त आराजियात की विभाजन से पूर्व की स्थिति बहाल हो जाने से विभाजन के आधार पर रेस्पोडेण्ट द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व धारा 183 बी के प्रकरण में दिनांक 07.09.2017 के तहसीलदार जहाजपुर के बेदखली आदेश प्रभावहीन हो चुके हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव –

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 की धारा 225 के अंतर्गत स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर द्वारा प्रकरण सं. 01/2017 निर्णय दिनांक 07.09.2017 को अपास्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर को पालनार्थ भेजा जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/9/18

(एल.आर.गुगरवाल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालय अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)